



## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION



भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

केंका. डीआईसीजी. आईओडी.सं. S1812/05-60-324/2023-2024

07 दिसम्बर 2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Executive Officer शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Ltd., Ichalkaranji, Kolhapur पी. बी. नं. 93, नारायण पेठ, दीनदयाल भवन P. B. 93, Narayan Peth, Dindayal Bhavan कोल्हापुर-416115 Kolhapur- 416115

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Ltd., Ichalkaranji, Kolhapur जमा बीमा योजना 1961 पंजीकरण रद्द करना - शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर

कृपया 04 दिसम्बर 2023 की भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी देखें जिसके द्वारा शंकरराव पुजारी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड. इचलकरंजी, कोल्हापुर को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत जारी के लाइसेंस को 04 दिसम्बर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द किया गया है। सहकारिता आयुक्त एवं रजिस्टार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। अत: हम सचित करते हैं कि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 13 सी (बी) के प्रावधानों के तहत, बीमित बैंक के रूप में आपके बैंक का पंजीकरण 04 दिसम्बर 2023 यानी आपके बैंक के कारोबार की समाप्ति की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

2. अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करें:

Please refer to the Reserve Bank of India Press Release dated December 04, 2023 stating that the license of Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Ltd., Ichalkaranji, Kolhapur to carry on business issued to you under Section 22 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 has cancelled with effect from close of business on December 04, 2023. The Commissioner for Cooperation and Registrar Cooperative Societies, Maharashtra has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank. We, therefore, advise that under the provisions of Section 13C (b) of DICGC Act 1961, the registration of your bank as an insured bank stands cancelled with effect from December 04, 2023 i.e., the date of close of business of your bank.

- 2. You are requested to kindly submit the following documents:
- a) Cut-off Deposit Insurance (DI) return and statutory auditor certificate

- क) 04 दिसम्बर 2023 को पंजीकरण रद्द करने की तिथि को कट-ऑफ जमा बीमा (डीआई) विवरणी और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र जमा करें। तदनुसार आपके बैंक को 04 दिसम्बर 2023 तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- ख) बैंक को जारी किया गया पंजीकरण का मूल पत्र।
- ग) केंद्र/राज्य विधान, जिसके तहत बैंक पंजीकृत किया गया है, के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिवत प्रमाणित प्रति ।
- 3. इसके अतिरिक्त आपको सूचित किया जाता है कि आप डीआईसीजीसी को प्रीमियम जमा करना बंद कर दें, क्योंकि बीमित बैंक के रूप में आपके बैंक विपंजीकृत है।

- as on the date of deregistration i.e. **December 04, 2023.** Your Bank will accordingly be required to pay premium up to **December 04, 2023.**
- b) The original letter of registration issued to the bank.
- c) Duly authenticated copy of Certificate of Registration issued by the Competent Authority under the Central / State Legislation under which the bank has been registered.
- 3. You are further advised to stop remitting premium to DICGC, as your bank is de-registered as an insured bank.

ह /-

(मंगेश सोरते/Mangesh Sorte) उप महाप्रबंधक/Deputy General Manager